प्रतिवेद्य

समक्ष भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय

व्यवहार (अपीलीय) अधिकारिता

व्यवहार अपील 856/2012

प्रबंधन, हिन्दुस्तान
मशीन टूल्स लि. .....अपीलार्थी (गण)

विरूद्ध

घन्श्याम शर्मा .....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे

1. यह अपील राजस्थान के उच्च न्यायालय के द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) सं0 1997/1417 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 18.12.2007 के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी।

2. मामले के तथ्य संकीर्ण दिशा सूचक यंत्र में निहित है जो ये नीचे दिये गए हैं।

3. अपीलार्थी एक सरकारी कंपनी है जो कुछ वस्तुओं का निर्माण करती है।

अब इसे एक बीमार कंपनी के रूप में घोषित किया गया है।

4. प्रत्यर्थी (कर्मकार) ने दावा किया कि उसने अपीलार्थी कंपनी के साथ अपने उत्पादक संयंत्र में एक दैनिक मजदूर के रूप में 10.06.1976 से 30.07.1977 तक काम किया। उसने शिकायत की कि एक मौखिक आदेश द्वारा अपीलार्थी ने 31.07.1977 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी और इसलिए 31.07.1977 के बाद से वह अपीलार्थी के रोजगार में नहीं है।

5. प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति के कारण पक्षों के बीच औद्योगिक विवाद का जन्म हुआ। राज्य, प्रत्यर्थी (कर्मकार) द्वारा की गई प्रार्थना पर औद्योगिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के तहत विवाद (लघु ''अधिनियम'') को श्रम न्यायालय जयपुर को इसके न्यायिक निर्णय के लिये 03.11.1983 को उपार्पित किया।

6. पक्षों ने श्रम न्यायालय के समक्ष योग्यता के संदर्भ में चुनाव लड़ा। 21.09.1988 के निर्णय द्वारा श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पक्ष में संदर्भ का जवाब दिया।

7. यह अभिनिर्धारित किया गया की प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति कानूनी और उचित नहीं था और इसलिए यह अपास्त करने योग्य था। यह तदनुसार अपास्त किया गया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल किया जाए और उसे सेवा में निरंतरता भी दी जाए।

8. अपीलार्थी (नियोक्ता–कंपनी) ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। 17.09.1997 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने रिट याचिका की अनुमति दी और श्रम न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया।

9. प्रत्यर्थी (नियोक्ता) ने व्यथित होकर अंतरंग–न्यायालय में खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। आलोच्य आदेश द्वारा, खंडपीठ ने अपील की अनुमति दी। एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया और श्रम न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जिसके परिणामस्वरूप इस अदालत में नियोक्ता द्वारा विशेष अनुमति दाखिल की गई।

10. श्री सुशील कुमार जैन, अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना। तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

11. इसलिए लघु प्रश्न जो इस अपील के विचार उठता है, यह है कि क्या खंडपीठ द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को अनुमति देना न्यायसंगत था और इस कारण श्रम न्यायालय के निर्णय को बहाल करना उचित था।

12. अपीलीर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वाद के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद हमारी यह विचारित राय है कि अपील को आंशिक रूप

से नीचे दिए गये श्रम न्यायालय के निर्णय को संशोधित करके अनुमति दी जाए।

13. यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी एक दैनिक मजदूर था और मुश्किल से एक वर्ष (10.06.1976 से 30.07.1977) तक काम किया था। यह भी विवादित नहीं है कि उसकी नियुक्ति अनौपचारिक थी।

14. इस तरह के मामले में और इस तथ्य के संबंध में कि इस बीच कई दशक बीत चुके है, प्रत्यर्थी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया कि क्या वह 1977 से लाभप्रद रूप से कार्यरत था या नहीं। श्रम न्यायालय द्वारा सभी परिणामी लाभों के साथ उसकी बहाली का निर्देश देने की बजाय अधिनियम की धारा 11 अ के तहत शक्तियों का सहारा लेकर प्रत्यर्थी को सेवा की निरंतरता के साथ बहाली में राहत और पिछले वेतन के भुगतान देने के स्थान पर एकमुश्त धनराशि प्रदान करनी चाहिए थी।

15. दूसरे शब्दों में बहुत कम अवधि (केवल 240 दिन) के लिए प्रत्यर्थी की नियुक्ति और उसके द्वारा नियुक्ति की विचित्र प्रकृति के संबंध में, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 1977 में अपनी सेवाएं समाप्त होने के बाद लाभ के लिए काम किया या नहीं। यह एक उपयुक्त मामला था जहां श्रम न्यायालय को परिणामी लाभ के साथ सेवा में अपनी बहाली के आदेश के बजाए प्रत्यर्थी को एकमुश्त मुआवज़ा देना चाहिए था। श्रम न्यायालय को

अधिनियम की धारा 11 अ के तहत शक्तियों का सहारा लेकर इस तरह के आदेश को पारित करने के लिये सशक्त था। इस प्रकार के मामलों में इस न्यायालय का दृष्टिकोण भी रहा है। (देखें–वरिष्ठ अधीक्षक टेलीग्राफ (ट्रैफिक) भोपाल बनाम संतोष कुमार, सील सहायक अभियंता राजस्थान विकास निगम बनाम गितम सिंह (2010) 6 एससीसी 773 और सहायक अभियंता, राजस्थान विकास निगम और अन्य बनाम गितम सिंह (2013) 5 एससीसी 136)।

16. पूर्वगामी चर्चा के मद्येनज़र, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते है और आलोच्य आदेश और श्रम न्यायालय के निर्णय को संशोधित करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी (कर्मकार) को उसकी सेवा में बहाली का दावा करने को अधिकार के बदले मुआवज़े के रूप में कुल 50000/– एकमुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश देते है।

17. मुआवज़े की राशि इस अदालत द्वारा तय की गई है जिसमें सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अधिनियम धारा 17 ब के तहत रिट याचिका अंतरंग–न्यायालय के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी को मासिक वेतन के माध्यम से भुगतान करने का तथ्य भी शामिल है। हमारे विचार में, यह इस मामले तथ्यों में एक उचित मुआवज़ा है।

18. इस आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर अपीलर्थी द्वारा प्रत्यर्थी को

50000/– की राशि का भुगतान किया जाए।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाए।

.....न्यायमूर्ति

[अभय मनोहर सप्रे]

.....न्यायमूर्ति

[इंदु मल्होत्रा]

नई दिल्ली,

30 अक्तूबर 2018

खंडन (डिस्क्लेमर): स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सिमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्राधिकारिता करेगा।
